

**राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग**

क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011 पार्ट

जयपुर, दिनांक: **6 SEP 2013**

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत दिनांक 17.6.99 के बाद की बसी आवासीय कॉलोनियों में राडक व सुविधा क्षेत्र के संबंध में जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 6.12.2012 द्वारा दिनांक 17.6.99 के पश्चात् लेकिन दिनांक 2.5.2012 के पूर्व कृषि भूमि पर विकसित हुई आवासीय कॉलोनियों में "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" के दौरान नगर निकायों को निर्धारित शर्तों के साथ आवासीय क्षेत्र व सड़क/सुविधा क्षेत्र का अनुपात 70:30 में ले-आउट प्लान स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 01 में निम्न प्रावधान था :-

1. नियमन हेतु दिनांक 2.5.2012 से पूर्व संबंधित नगरीय निकाय में आवेदन किया गया हो।

अब प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान नियमन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 2.5.2012 के स्थान पर प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि तक की जाती है।

राज्यपाल आज़ा से,

(गुरदयाल सिंह संघु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
3. निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
7. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर..... (राजस्थान)।
9. संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), नगरीय विकास विभाग।
10. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
11. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
13. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
14. अध्यक्ष/सचिव, नगर सुधार न्यास.....(समस्त)।
15. रक्षित पत्रावली।

(उज्ज्वल राठौड़)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय